सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 चैत्र, 1941 (श०)

संख्या- 298 राँची, सोमवार, 1 अप्रैल, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

संकल्प

28 मार्च, 2019

संख्या-5/आरोप-1-99/2016 का॰-1508 (HRMS)-- श्रीमती कंचन कुमारी भुदोलिया, (चतुर्थ बैच) झा०प्र०से०, के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोड्डा के पदस्थापन अवधि से संबंधित दो प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया।

प्रथम आरोप प्रपत्र-'क' में आरोप उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-471/मनरेगा, दिनांक-06.06.2016 द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य मानव दिवस सृजन में सबसे खराब प्रदर्शन करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किये गये तथा दूसरा आरोप प्रपत्र-'क' उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-656, दिनांक-20.08.2016 द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध डोभा निर्माण में अनियमितता/ शिथिलता/लापरवाही बरतने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किये गये।

उक्त दोनों प्रपत्र-'क' में गठित आरोपों पर विभागीय पत्रांक-7466, दिनांक 29.08.2016 एवं पत्रांक-8518, दिनांक 30.09.2016 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इन्होंने पत्रांक-8, दिनांक 06.10.2016 एवं पत्र, दिनांक 08.10.2016 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्रीमती भुदोलिया से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-10187, दिनांक 01.12.2016 तथा पत्रांक-11068, दिनांक 27.12.2016 द्वारा उपायुक्त, गोड्डा से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-65/गो०, दिनांक 14.01.2017 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

उपायुक्त, गोड्डा से प्राप्त मंतव्य के आलोक में विभागीय पत्रांक-3009, दिनांक 09.03.2017 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से श्रीमती भुदोलिया के स्पष्टीकरण पर मंतव्य की माँग की गयी। ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-2116, दिनांक 21.07.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उपायुक्त, गोड्डा द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य पर सहमति संसूचित की गयी।

श्रीमती भुदोलिया के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गोड्डा के मंतव्य तथा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के मंतव्य के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प सं०- 2762(HRMS), दिनांक 20.11.2018 द्वारा इनकी सेवा सम्पुष्टि की अर्हता की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(i) के तहत् "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्रीमती भुदोलिया द्वारा राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची के समक्ष पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जो राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक-4221, दिनांक 20.12.2018 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

श्रीमती भुदोलिया द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन में वही तथ्य दुहराये गये हैं, जो पूर्व में इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लिखित है।

अतः समीक्षोपरांत, श्रीमती भुदोलिया द्वारा समर्पित पुनर्विचार को अस्वीकृत करते हुए इन पर पूर्व में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(i) के तहत् "निन्दन" का अधिरोपित दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	KANCHAN KUMARI BHUDOLIA 110061209621	श्रीमती कंचन कुमारी भुदोलिया, (चतुर्थ बैच) झा०प्र०से०, द्वारा समर्पित पुनर्विचार को अस्वीकृत करते हुए इन पर पूर्व में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(i) के तहत् "निन्दन" का अधिरोपित दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 298 -- 50